न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 38 सन् 2021
पंजीयन दिनांक 22.06.2021

नन्दलाल पिता खुमाण गोदपुत्र नाथुलाल जाति लौहार निवासी भेदसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट

विरूद्ध

1. सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाति लौहार निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 158/2017 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2019

उपस्थित– 1. नारायण सिंह खंगारोत-अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चंदनमल जणवा-रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांक 04.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व ऊंकारीबाई के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात मोजा गाडरियो की ढाणी तहसील भदेसर की खाता सं. 49 मे दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता ने खातेदार नाथुलाल से जरिये बिकावनामा दिनांक 31.10.1992 को 20,000/- रू. मे प्रतिवादी ऊंकारीबाई के पति नाथुलाल को गवाहो की मौजुदगी मे नकद राशि अदा कर क्रय की थी एवं कब्जा प्राप्त किया, तभी से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपने पिता के जीवनकाल से खरीद की गई कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 के पति नाथुलाल के मध्य आपस मे अच्छे सम्बन्ध होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता ने उक्त कृषि आराजीयात की रजिस्ट्री बाद मे करवाने के भरोसे मे रहे, मगर इस दरम्यान विक्रेता नाथुलाल की मृत्यु हो गई, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता द्वारा खरीद की गई उक्त कृषि आराजीयात की रजिस्ट्री नही करा सके, जिससे उक्त कृषि आराजीयात अभी भी विक्रेता नाथुलाल के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है, जिससे अब प्रतिवादी सं. 1 ऊंकारीबाई के मन मे बदयंती आ जाने से वह रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को मौके पर आये दिन आकर कृषि आराजीयात से कब्जा छोडने व अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने की धमकियां दे रही है। विवादग्रस्त कृषि आराजीयात

राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के पति नाथुलाल का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि आराजीयात को अजनबी व्यक्ति को मौके पर लाकर कृषि आराजीयात को विक्रय करने की सौदेबाजी कर रही है तथा कृषि आराजीयात अपने नाम करवाने हेतु आमादा हो रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कृषि आराजीयात का कब्जा छोडने की धमकी दे रही है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील होना मानते हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर तहसीलदार भदेसर कमिश्नर से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौखिक साक्ष्य व तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपीलान्ट प्रार्थी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी व अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी के गोदी पिता नाथुलाल से विरासत मे प्राप्त हुई तथा उस पर कब्जा भी प्रार्थी का चला आ रहा है जिससे प्रार्थी अपीलान्ट के हित प्रभावित होने व प्रतिवादिया ऊंकारीबाई जो नाथुलाल की विवाहिता पत्नि थी का स्वर्गवास हो जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अपील पेश है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने व अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलान्ट प्रार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट प्रार्थी की गोदी माता ऊंकारीबाई व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र मे मोजा गाडरियो की ढाणी तहसील भदेसर की खाता सं. 49 मे दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ऊंकारीबाई की प्रोपर तामील नही हुई फिर भी ऊंकारीबाई का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से बिना किसी आदेश के भेजा गया। बिना पावती रसीद के प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27.08.2018 को प्रतिवादी सं. 1 ऊंकारीबाई के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बिना तामील के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य ली जाकर अपंजीकृत बिकावनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो अपंजीकृत बहनामे के आधार पर होने से अपीलान्ट प्रार्थी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट प्रार्थी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही रहा है न ही अपीलान्ट प्रार्थी विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बहनामा दिनांक 31.10.1992 के आधार पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र मृतक विक्रेता नाथुलाल की पत्नि ऊंकारीबाई के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी सं. 1 की प्रोपर तामील करवाई गई उसके बावजूद भी प्रतिवादी सं. 1 ऊंकारीबाई अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही रही जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने ऊंकारीबाई के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री किया है। विवादित कृषि आराजीयात स्वर्गीय नाथुलाल की थी। नाथुलाल ने जरिये बहनामा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता भंवरलाल को विक्रय की जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित हुआ है उसी के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपंजीकृत बहनामे के आधार पर होने से विधि विरूद्ध होना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने गाडरियो की द्राणी तहसील भदेसर की खाता सं. 49 मे दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 28.05.2018 तक प्रतिवादिया सं. 1 ऊंकारीबाई की तामील नही हुई जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पुनः सम्मन जारी किये जाने का आदेश पारित किया है, परन्तु अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की आदेशिका मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस प्रेषित करवाया जिसकी डाक रसीद मूल सम्मन पर चस्पा की गई। उक्त सम्मन दिनांक 12.04.2018 को जारी होना पाया जाता है, जिसमे नियत तारीख पेशी 28.05.2018 नियत रही है। उक्त सम्मन पर तारीख पेशी व जारी करने की तारीख मे कांट-छांट होना पाया जाता है, उसी सम्मन के आधार पर बिना पावती रसीद के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.08.2018 को बिना किसी तारीख पेशी के एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी सं. 2 की बिना तामील के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की मौखिक साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपंजीकृत बहनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी जो की नाथुलाल का गोदपुत्र है। नाथुलाल का गोद पुत्र होने के सम्बन्ध मे अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील के साथ नाथुलाल के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित किये गये वसीयतनामे की फोटो प्रति, नाथुलाल का मृत्यु प्रमाण-पत्र, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 1 निम्बाहेडा के न्यायालय मे भगवान लाल पिता भुरालाल कुम्हार के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 1 निम्बाहेडा के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 26.09.2017 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिससे अपीलान्ट प्रार्थी स्वर्गीय नाथुलाल का गोदपुत्र होना बताया है, फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट प्रार्थी को बिना वादपत्र मे पक्षकार कायम किये नाथुलाल की पत्नि ऊंकारीबाई जिसका स्वर्गवास हो चुका है को पक्षकार कायम करते हुए एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अपंजीकृत बहनामे के आधार पर प्राप्त की है, जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के प्रकरण संख्या 158/2017 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2019 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट प्रार्थी को वादपत्र मे पक्षकार मुकदमा संयोजित कर अपीलान्ट प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 15.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)